छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
एवं
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई.रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन नं. 0771–4090020/30, Website :cssda.cg.nic.in, Email :cgcssdm@gmail.com

क्रमांक/ 426 /रापलाकासो/2017 रायपुर, दिनांक 15/11/2017

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
समस्त जिला (छ0ग0)

विषय :– **लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में कियान्वयन एवं अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।**

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 4317/2897/2017/कौ.वि./42 नया रायपुर दिनांक 04/08/2017 एवं पत्र कमांक 5505/2996/2017/कौ.वि./42 नया रायपुर, दिनांक 23/10/2017 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी/ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण के अधीन संचालित कौशल प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत आंशिक संशोधित करने हुए प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में कियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी की जाती है :–

1. शासकीय/अशासकीय वीटीपी द्वारा प्रशिक्षण समाप्त होने की तिथि से 01 वर्ष बाद तक नियोजन क्लेम (Placement) राशि प्राप्त करने की पात्रता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर प्रशिक्षण समाप्ति के 06 माह के भीतर नियोजन राशि क्लेम करने पर देय होगी, इसके पश्चात् नियोजन (Placement) से संबंधित क्लेम राशि के देय स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही भुगतान के लिये ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा। शासकीय/अशासकीय वीटीपी संस्थाओं द्वारा सफल हितग्राहियों के नियोजन (Placement) हेतु निर्धारित राशि का क्लेम प्रशिक्षण समाप्त करने की तिथि से 06 माह के भीतर नियोजन (Placement) विवरण **(Annex-1)** का हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाईन क्लेम करना अनिवार्य है।
2. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिला लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा संचालित आवासीय प्रशिक्षण (ठहरने एवं भोजन इत्यादि व्यय) हेतु प्रशिक्षण लागत में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति प्रशिक्षण दिवस के लिए राशि रू. 150–/ के दर से राशि देय होगी।
3. लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन उपलब्धता की स्थिति में ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा समस्त लैब सामग्री सेटअप व्यवस्था करने पर प्रशिक्षण शुल्क की लागत राशि का लाईवलीहुड कॉलेज को 25 प्रतिशत एवं ट्रेनिंग पार्टनर को 75 प्रतिशत राशि देय होगी। यदि ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा नियोजन (Placement) कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग पार्टनर को योग्य प्रशिक्षण राशि 10 प्रतिशत काट कर देय होगी।

4. लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन एवं समस्त लैब सेटअप सामग्री की व्यवस्था करने पर प्रशिक्षण शुल्क की लागत राशि का लाईवलीहुड कॉलेज को 50 प्रतिशत एवं ट्रेनिंग पार्टनर को 50 प्रतिशत राशि देय होगी। यदि ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा नियोजन (Placement) कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग पार्टनर को योग्य प्रशिक्षण राशि 10 प्रतिशत काट कर देय होगी।

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त उपरान्त जारी की जाती है। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
रायपुर, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/ 927 /रापलाकासो/2017 रायपुर, दिनांक 15/11/2017

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सहायक संचालक, समस्त जिला कौशल विकास प्राधिकरण छ0ग0 ।
3. नोडल अधिकारी/प्राचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, समस्त जिला छ0ग0 ।
4. समस्त अधिकारी व शाखा प्रभारी अधिकारी, छ00ग राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
रायपुर, छत्तीसगढ